भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1639
10.03.2025 को उत्तर के लिए

खनन निषिद्ध क्षेत्र की पहचान

1639. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा राज्य में देबमाली, गंधमर्दन और नियमगिरि जैसे पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति क्या है और क्या इन क्षेत्रों को जैव-विविधता की रक्षा करने और संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए खनन निषिद्ध क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है;

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों में खनन पट्टा देने से पहले कितने मामलों में ग्राम सभा से कितने परामर्श किए गए हैं और क्या ओडिशा राज्य में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के उल्लंघन की सूचना मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रगति बैठकों के माध्यम से खनन और ऊर्जा परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाई जा रही है, जिससे संभवतः वैधानिक पर्यावरण और जनजातीय कल्याण सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ओडिशा राज्य में बड़े पैमाने पर खनन के कारण पर्यावरण क्षरण और वनवासियों और जनजातीय समुदायों के विस्थापन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, और

(ङ) क्या सरकार पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खनन निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) ओडिशा सरकार ने दिनांक 20.03.2023 की अधिसूचना के तहत ओडिशा के बरगढ़ और बलांगीर जिलों के बीच गंधमर्दन पहाड़ियों (गंधमर्दन रिजर्व फॉरेस्ट) के 18,963.898 हेक्टेयर क्षेत्र को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 और ओडिशा जैव विविधता नियम, 2012 के नियम 20 (2) के प्रावधानों

के तहत और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मानदंडों के अनुसार 'ओडिशा का जैव विविधता विरासत स्थल' घोषित किया है। ओडिशा सरकार के अनुसार, इन क्षेत्रों में खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के अनुसार खनन पट्टा देने की कोई योजना नहीं है। ओडिशा सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वहां मौजूद प्राचीन नृसिंहनाथ और हरिशंकर मंदिर सहित गंधमर्दन की जैवविविधता और उनमें पाए जाने वाले औषधीय पौधे आज भी सुरक्षित हैं।

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों में खनन पट्टे देने से पहले ग्राम सभाओं से परामर्श करना एक वैधानिक आवश्यकता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) के अनुसार, ग्राम सभा को अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने का अधिकार है और वह ऐसे किसी भी कार्यकलाप पर रोक लगा सकती है, जो वन्यजीवों, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

(ग) महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की निगरानी **प्रगति** पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। यह भारत सरकार के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच है, ताकि सभी लागू वैधानिक विनियमों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए समय पर कार्यान्वयन किया जा सके।

(घ) भारत सरकार ने आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ संतुलित करने के उद्देश्य से खनन के कारण वनवासियों और जनजातीय समुदायों के पर्यावरणीय क्षरण और विस्थापन को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006; प्रतिपूरक वनरोपण कोष अधिनियम, 2016; भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980; और समय-समय पर संशोधित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 जैसे विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत पर्यावरण तथा विस्थापित समुदायों पर खनन के प्रतिकूल प्रभावों का उपशमन सुनिश्चित किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण पर जोर देती है और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाती है। रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में आईए 1000/2023 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.04.2023 के निर्णय के अनुसार पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में और किसी भी संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर भी खनन पर प्रतिबंध है।

*****